ा चांदनी चौक

ना की समीक्षा की।

करोड़ रुपए थी।
ही विकास मंत्री ने
में आपात वाहनों के
है। इसके अलावा
लिए भी व्यवस्था
कार्य को मई 2020

भाजपा ने रखी तीन मांगें

चांदनी चौक पर भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने तीन अहम मांग की हैं। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों के छज्जे आदि की तोड़फोड़ पर रोक लगा कर न्यायालय में लोक हित पक्ष रखने का अधिकारियों को निर्देश दें। सभी निजी भवनों के आगे के चबूतरों-छज्जों जिन पर व्यवसाय चल रहे हैं उनको नियमित करने का निर्देश दें और चांदनी चौक को पूर्णतया वाहन रहित करने के निर्णय की पुनः समीक्षा की जाए।

तक पूरा करना था, लेकिन कोरोना की वजह से काम बंद करना पड़ा था। इसलिए यह पूरा नहीं हो सका है। चांदनी चौक में आने वाले लोगों को सड़क के बीच और दोनों तरफ किनारे बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही जगह-जगह पेड़ लगाने के लिए जगह भी छोड़ी गई है।

कार्ड
बनाए
सके।
सिंह
न्होंने
शुरू
लाफ
मंत्री
कार्ड
राशन
नहीं
की
जपा

ब परिवारों के राशन
सरकार : भाजपा

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की अगुआई में भाजपा एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।

भाजपा के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 मई को दिल्ली सरकार को उन गरीबों को राशन देने के निर्देश दिए थे, जिनके पास राशनकार्ड नहीं है। अदालत ने फिर 18 मई को भी दिल्ली सरकार को स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार को हर हाल में सभी जरूरतमंदों तक बंद में राशन पहुंचाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भूखा नहीं सोए। अदालत ने जरूरतमंदों को अनाज पहुंचाने के आदेश का प्रभावी पालन नहीं किए जाने पर असंतोष भी व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने भी 6 अप्रैल, 2020 को दिल्ली के 10 लाख गैर राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना करने जा रही है जो कि सरासर गलत है।

SKYLINE INDIA LIMITED
Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Email Id: skylineindia96@gmail.com; **Tel No.:** +91 11 23541110
CIN: L51909DL1996PLC075875, **Website:** www.skylineindia.co.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday 29th July 2020, at 12:00 noon at the registered office of the company inter-alia to Consider and approve the audited Financial Results along with Auditor report of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at **http://www.skylineindia.co.in** and may also be accessed on the Stock Exchange websites at ***https://www.msei.in*** Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" which would end 48 hours after the results are made public on 29th July 2020.

For Skyline India Limited
Sd/-
(Dinesh Kumar Shindi)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Delhi
Date: 22.07.2020

स्टरलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड
CIN:L37200DL2008PLC174911
पंजी. कार्यालयः ए-1/51, एलजीएफ, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
ई-मेलः info@starlitgroup.net
वेबसाईटः http://www.starlitpower.com
फोनः +91-1126102570, 46027970, 46037870

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1)(ए) के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 30 जुलाई, 2020 को 3.00 बजे अप. में ए-1/20, सफदरजंग एन्क्लेव, सफदरजंग, नई दिल्ली-110029 कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही/वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.starlitpower.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट https://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

ट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-I, रिटेल
दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

क देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
क के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा
धीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे
स गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार
ड़, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया
आधार पर उधारकर्ता श्रीमती स्वाति वडेरा पत्नी श्री पुष्प वडेरा,
जयपुरिया ग्रीन, इंदिरा पुरम गाजियाबाद (यू.पी.)-221014 से रु.
का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि
आरक्षित मूल्य रु. 52.00 लाख और अग्रिम जमा धन राशि रु. 5.
17-08-2020 है। निरीक्षण की तिथि : 14-08-2020
खंड-2, जयपुरिया ग्रीन, इन्दिरापुरम, गाजियाबााद, यू.पी -
लगभग, यह सम्पत्ति श्रीमती स्वाति वडेरा पत्नी श्री पुष्प वडेरा के

नीचे दिए गए वेबसाईट पर देखें। https://sbi.auctiontiger.net,

हस्ता0 /- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

ट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-I, रिटेल
दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

क देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
क के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा
धीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे
स गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार
रोड़, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया
के आधार पर उधारकर्ता श्री केशव गोयल और श्रीमती तारू
-एलआईजी, पॉकेट-बी-2, गलोरिज़ अपार्टमेंट, लोक नायक
4 लाख दिनांक 30.06.2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं अन्य
ली हेतु दिनांक 10-09-2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु.
ख होगी और जिसे जमा करने कि अंतिम तिथि 09-09-2020 है।

इस
सके
साथ
कि
के
पानी
धिक
को
बात
जाया
की
स्थिति
को
भीर
जा
धिक